न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1619/2026
खगौल थाना कांड संख्या– 288/2026

1. रामेश्वर प्रसाद पिता स्व0 हीरालाल,
2. शोभा देवी पति नीरज कुमार,
3. मृत्युंजय कुमार उर्फ लालू पिता राम रंजन प्रसाद,
4. नीरज कुमार पिता स्व0 भीम प्रसाद,
5. हर्षित कुमार पिता नीरज कुमार,
6. दीप शिखा पुत्री नीरज कुमार,
साकिनान–सैदपुरा, थाना–खगौल, जिला–पटना।
7. सतीश प्रसाद पिता स्व0 मथुरा प्रसाद,
8. अर्चना कुमारी उर्फ बेबी देवी पति सतीश प्रसाद,
9. मिटाली कुमारी पुत्री–सतीश प्रसाद,
10. हेमन्त प्रताप पिता सतीश प्रसाद।
साकिनान –नंदू टोला, थाना–खगौल, जिला–पटना।

–––––– अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से– श्री अशोक चौधरी, विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से –श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0सहा0लोक अभियोजक।

आदेश

31.07.2026 खगौल थाना कांड संख्या–288/2026 धारा–126(2), 115(2),109(1),352,303(1),3(5) बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक का आपराधिक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक–07.06.2026 को समय शाम 7.30 बजे मैं अपने घर पर आराम कर रहा था, तभी अचानक 20–25 की संख्या में नीरज कुमार और उनकी पत्नी शोभा देवी और उनके पुत्र हर्षित और उनके पुत्री व ओमप्रकाश उर्फ दीपू कुमार, सोना देवी, बबलू, रमेश्वर, धनंजय, सतीश, बेबी देवी एवं कुछ अज्ञात लोग लाठी, डंडा, पत्थर, ईट लेकर गाली–गलौ कर मेरे घर में चढ़कर धनंजय कुमार मेरे बेटा विनय कुमार को सिर फाड़ दिया और मेरी पत्नी को मारपीट करने लगा, उसके गला से मंगलसुत्र चार ग्राम और सोना का लॉकेट छिन लिया। मारपीट का मुख्य कारण है कि हमलोगों के घर के सामने सरकारी जमीन है जिसपर वे बढ़कर घर का निर्माण किया है, अब उसका मंशा है कि सरकारी भूमि को कबजा कर लें, इसलिये चार दिन पहले अपने कुछ परिवार के साथ प्रस्ताव रखा था कि आपके जमीन के आगे मिट्टी भरवायेंगे, मना करने पर वे धमकी देकर चला गया था और बोला था कि नहीं माने तो घर में घुसकर सभी को गोली मार देंगे। मैंने यह बात

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1619/2026
खगौल थाना कांड संख्या— 288/2026

लगातार

31.07.2026

अपने परिवार को नहीं बताया था। मैं गरीब आदमी हूॅ। गाय का चारा बेचकर अपना भरण—पोषण करता हूॅ, इस लड़ाई से मेरे परिवार में डर है। नीरज कुमार अक्सर सरकारी जमीन कब्जा करने के लिये ससुराल के लोगों और अपने परिवार के साथ दबंगई दिखाता है। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्षों में सरकारी जमीन में बढ़कर घर का निर्माण करने को लेकर विवाद है। उभय पक्षों में पल्टा वाद खगौल थाना कांड सं0—287/2026 भी चल रहा है तथा इस वाद के अनुसंधानकर्ता द्वारा जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण जख्मी के जख्म की प्रकृति का विश्लेषण करना संभव नहीं है। सह अभियुक्त को पूर्व में अग्रिम जमानत दिया गया है। इस आवेदकगण पर समान प्रकृति का अपराध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उक्त आवेदकगण द्वारा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे व एक—एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण/गिरफ्तार होने पर, धारा—438(2) द.प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000/—रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।